झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

सं0 सं0-04/आ01-55/2016...../ राँची, दिनांक-...../

श्री सतीश चन्द्र सिंकु, तत्कालीन जन सूचना पदाधिकारी-सह- जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधान अन्तर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक-860 दिनांक-20.12.2017 द्वारा झारखंड पेंशन नियमावली-2000 के नियम-43 (ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. उपर्युक्त संदर्भ में अंकनीय है कि राज्य सूचना आयोग के ज्ञापांक-24381 दिनांक-24.10.2016 द्वारा अपीलवाद संख्या-1240/15 सच्चिदानन्द बनाम जन सूचना पदाधिकारी-सह-जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज मामले में श्री सतीश चन्द्र सिंकु, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जन सूचना पदाधिकारी, साहेबगंज के विरूद्ध दिनांक-13.10.2016 को सूचना अधिकार अधिनियम-2006 की धारा-20(2) के तहत विभागीय कार्रवाई संचालित करने का आदेश पारित किया गया था।

3. उक्त पारित आदेश के आलोक में श्री सिंकु के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-860 दिनांक-20.12.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

4. उपर्युक्त संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, साहेबगंज से संबंधित था। आरोपित पदाधिकारी द्वारा जन सूचना पदाधिकारी के नाते ससमय आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को अंतरित किया गया था। अतः श्री सिंकु के विरूद्ध आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

5. उपर्युक्त के आलोक में श्री सिंकु को आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया जाता है।

6. उपर्युक्त निर्णय के साथ ही श्री सिंकु के विरूद्ध संचालित उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही निष्पादित की जाती है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
(आदित्य कुमार आनन्द)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-33/ राँची, दिनांक-07-01-20/

प्रतिलिपिः- विभागीय नोडल पदाधिकारी ई0 गजट को सरकारी गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/ विभागीय नोडल पदाधिकारी, को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव कोषांग
गै० प्रे० सं० 16
दिनांक 8.1.20

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय
झारखण्ड, राँची
डायरी सं० 47
दिनांक 08-01-020

सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ0पृ030